**नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित एंव पूर्ण कर चालू की गई पाईप जलापूर्ति योजनाओं के हस्तांतरण हेतु मुख्य अभियंता (यां0) की अध्यक्षता में दि0–28.07.14 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–**

उपस्थितिः– परिशिष्ट–'क' पर संलग्न।

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ हुए विमर्श के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत एवं विभाग द्वारा पूर्ण की गई जलापूर्ति योजनाओं में से प्रथम चरण में सीवान फेज–1 एवं फेज–2, आरा, हिलसा, हाजीपुर एवं शेखपुरा, कुल पांच अदद शहरी जलापूर्ति योजनाओं के वार्षिक अनुरक्षण, सम्पोषण, संचालन एवं मरम्मति हेतु स्थानीय नगर निकाय को हस्तांतरित करने का निर्णय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा लिया गया है। इस आयोजित बैठक में संबंधित नगर निकायों के संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, डूडा (DUDA) एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता/ उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में सभी संबंधित पांचों नगर निकायों यथा, सीवान, आरा, हिलसा, हाजीपुर एवं शेखपुरा के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्तमान में नगर निकायों के पास इन शहरों की जलापूर्ति योजनाओं के वार्षिक अनुरक्षण, सम्पोषण, संचालन एवं मरम्मति हेतु आधारभूत सरंचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु, निदेशानुसार, इन पाईप जलापूर्ति योजनाओं के वार्षिक अनुरक्षण, सम्पोषण, संचालन एवं मरम्मति का प्रभार स्थानीय नगर निकाय द्वारा लिया जा सकता है। इस संबंध में विमर्श के दौरान निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी :–

1. पाईप जलापूर्ति योजनाओं के हस्तांतरण करने के पूर्व संबंधित नगर निकायों से संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, डूडा (DUDA) एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से योजना का निरीक्षण कर लिया जाय। अगर योजना में छोटी–मोटी त्रुटि परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण हस्तानान्तरण के पूर्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा करा दिया जाय। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में योजना के सभी अवयवों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

2. सभी योजनाओं के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा एक कट–ऑफ–डेट निर्धारित की जायेगी। निर्धारित कट–ऑफ–डेट के पश्चात योजना का वार्षिक अनुरक्षण, सम्पोषण, संचालन एवं मरम्मति का प्रभार स्थानीय नगर निकाय द्वारा ले लिया जाएगा एवं उक्त कट–ऑफ–डेट के पश्चात् भी तीन माह के अवधि तक हैण्ड–होल्डिंग (Hand Holding) के तौर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा तकनीकी सहयोग स्थानीय नगर निकाय के प्रतिनिधियों/ पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

3. निर्धारित कट–ऑफ–डेट के पश्चात् अनुरक्षण, सम्पोषण, संचालन एवं मरम्मति संबंधी सभी आवश्यक व्यय (विद्युत विपत्र भुगतान सहित) का वहन स्थानीय नगर निकाय/ नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस हेतु बजट उपबंध में आवश्यक प्रावधान/संशोधन की कार्रवाई नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर अपेक्षित होगी।

**उपर्युक्त सुझावों के आलोक में निम्न बिन्दुओं पर मुख्य अभियंता (यां0) द्वारा एक निर्धारित समय–सीमा के अंदर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया :–**

1. पाईप जलापूर्ति योजनाओं के संयुक्त निरीक्षण का कार्य **दि0–10 अगस्त, 2014 तक** निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाय।

2. संयुक्त निरीक्षण के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् योजनाओं के हस्तानान्तरण के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग से सहमति के आधार पर एक माह का कट–ऑफ–डेट निर्धारित की जाएगी। कट–ऑफ–डेट के बाद भी तीन माह तक स्थानीय नगर निकाय के साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी हैण्ड–होल्डिंग की स्थिति में तकनीकी सहयोग किया जाएगा।

3. पाईप जलापूर्ति योजना के सभी अवयवों को संबंधित नगर निकाय की जलापूर्ति योजना पूर्ण रूप से हस्तांतरित की जाएगी, न कि आंशिक रूप से।

4. स्थानीय नगर निकाय को विद्युत सयोजन का ऑनरशीप हस्तांतरण किया जाना आवश्यक है। इस कार्य उक्त हेतु कार्य कट–ऑफ डेट के पूर्व जलापूर्ति केन्द्रवार स्थानीय नगर निकाय द्वारा करा लिया जाना होगा, ताकि उर्जा विपत्र का भुगतान संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जा सके।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर नगर निकाय के उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा सहमति दी गई। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

28/7/14

(राघवजी राम)
मुख्य अभियंता (यां0)

ज्ञापांकः– 7/ज0–1–105/13 601 दिनांकः– 28/7/2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर, पटना, आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, पटना (यां0), भागलपुर (यां0), मुजफ्फरपुर (यां0)/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान, आरा, हिलसा, हाजीपुर, शेखपुरा, पटना (यां0), सासाराम (यां0), छपरा (यां0), मुजफ्फरपुर (यां0), मुंगेर (यां0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सिवान, आरा, हिलसा, हाजीपुर, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव/ मुख्य अभियंता (यां0)/ मुख्य अभियंता (ना0) /विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0/मू0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि कार्यवाही की प्रति को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करें।

28/7/14

(राघवजी राम)
मुख्य अभियंता (यां0)